न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

(1)–निगरानी संख्या–77 / 2013–14 अन्तर्गत धारा–333 जं0वि0अधि0

गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रार गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।

बनाम

1– आर्य विद्या सभा गुरूकुल कांगड़ी द्वारा मंत्री / मुख्तारेआम डा0 राजकुमार रावत, निवासी हरिद्वार

2. आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब द्वारा महामंत्री गुरूदत्त भवन, जालंधर।

3. आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली द्वारा महामंत्री हनुमान रोड, नई दिल्ली,

4. आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा द्वारा महामंत्री, दयानन्द मठ रोहतक, हरियाणा,

5. राकेश कुमार, 6. नरेश कुमार, 7. मुकेश कुमार, 8. दिनेश कुमार, पुत्रगण शांतिस्वरूप, 9. दीपक कुमार, 10. संजीव कुमार पुत्रगण रामप्रकाश अग्रवाल,

11. विजय कुमार गोयल पुत्र जयप्रकाश गोयल, 12. सतवीर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, 13. शेरसिंह पुत्र झण्डू राम, 14 अमित सिंघल पुत्र तिलकराम सिंघल, 15. राकेश कुमार गोयल पुत्र नन्दकिशोर द्वारा मुख्तारेआम राकेश कुमार पुत्र शांतिस्वरूप, निवासी जस्साराम रोड, हरिद्वार,

16. ग्राम सभा जगजीतपुर, परगना ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार, 17. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, हरिद्वार।

(2)–निगरानी संख्या–78 / 2013–14 अन्तर्गत धारा–333 जं0वि0अधि0

आर्य विद्या सभा द्वारा कोषाध्यक्ष, धर्मपाल आर्य, गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार।

बनाम

1– गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रार गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार, 2. आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली द्वारा महामंत्री हनुमान रोड, नई दिल्ली, 3. आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा द्वारा महामंत्री, दयानन्द मठ रोहतक, हरियाणा, 4. आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब द्वारा महामंत्री गुरूदत्त भवन, जालंधर, 5. ग्राम सभा जगजीतपुर, परगना ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार, 6. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, हरिद्वार, 7. राकेश कुमार, 8. नरेश कुमार, 9. मुकेश कुमार, 10. दिनेश कुमार, पुत्रगण शांतिस्वरूप, 11. दीपक कुमार, 12. संजीव कुमार पुत्रगण रामप्रकाश अग्रवाल, 13. विजय कुमार गोयल पुत्र जयप्रकाश गोयल, 14. सतवीर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह,

15. शेरसिंह पुत्र झण्डू राम, 16 अमित सिंघल पुत्र तिलकराम सिंघल, राकेश कुमार गोयल पुत्र नन्दकिशोर द्वारा मुख्तारेआम राकेश कुमार पुत्र शांतिस्वरूप, निवासी जस्साराम रोड, हरिद्वार।

उपस्थित	:	श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता निगरानीकर्ता–77	:	श्री के0पी0 सिंह।
अधिवक्ता उत्तरदाता सं0–1	:	श्री ललित उपाध्याय।
अधिवक्ता उत्तरदाता सं0–5 से 15	:	श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।
अधिवक्ता निगरानीकर्ता–78	:	श्री अमित पुंज।
अधिवक्ता उत्तरदाता सं0–1	:	श्री ललित उपाध्याय।
अधिवक्ता उत्तरदाता सं0–7 से 16	:	श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।

निर्णय

उपरोक्त निगरानियां निगरानीकर्ता ने अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, शिविर न्यायालय, देहरादून द्वारा अपील संख्या–231/2001–03 गुरूकुल कांगड़ी विश्वविधालय द्वारा रजिस्ट्रार, हरिद्वार बनाम आर्य विद्या सभा, हरिद्वार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09–10–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

इन निगरानियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:–

आर्य विद्यासभा, गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार द्वारा मंत्री एवं मुख्तारेआम डॉ0 राजकुमार रावत पुत्र ठाकुर मुकुन्दसिंह गुरूकुल कांगड़ी फार्मेसी, हरिद्वार ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा–229बी जं0वि0अधि0 बावत भूमि खसरा नं0–553 क्षेत्रफल 0.326 हे0, खसरा नं0–554मि0 क्षेत्रफल 0.103 हे0, खसरा नं0–555मि0 क्षेत्रफल 0.265 हे0 एवं खसरा नं0–556 क्षेत्रफल 12.506 हे0 स्थित ग्राम जगजीतपुर मुस्तहकम बाहर हदूद नगर पालिका, हरिद्वार के स्वयं को भूमिधरी घोषित किये जाने हेतु परगनाधिकारी/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार के समक्ष दिनांक 04–06–1997 को प्रस्तुत किया। विद्वान सहायक कलेक्टर ने पक्षकारों के साक्ष्य एवं सुनवाई के उपरान्त अन्ततः दिनांक 24–11–2000/28–11–2000 को वादी का वाद वादी के पक्ष में आज्ञप्त एवं डिक्री किया गया।

आदेश/आज्ञप्ति दिनांक 24–11–2000/28–11–2000 के विरूद्ध गुरूकुल कांगड़ी विश्वविधालय द्वारा रजिस्ट्रार, हरिद्वार ने आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 02–05–2001 को प्रस्तुत की। अपील के साथ धारा–5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी शपथपत्र सहित संलग्न किया गया। विद्वान आयुक्त ने अपीलीय प्रार्थना पत्र पर दिनांक 04–05–2001 को निम्न आदेश पारित किये गये:–

''सुना गया, अपील ग्रहण की जाती है तथा सुनवाई हेतु दिनांक 18–05–2001 निर्धारित। तब तक सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी, हरिद्वार के आदेश

दिनांक 24–11–2000 एवं 28–11–2000 के प्रभाव को स्थगित किया जाता है। पक्ष तद्नुसार सूचित हो तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब हो''

उक्त अपील के विचारण रहते हुए निम्न चार प्रार्थना पत्र अपीलीय न्यायालय के समक्षं प्रस्तुत किये गये:–

1– श्री धर्मपाल आर्य द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08–05–2013

2– अपीलार्थी गुरूकुल कांगड़ी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 07–08–2013 अन्तर्गत आदेश–6, नियम–7, धारा–151 सी0पीसी0

3– समझौता पत्र दिनांक 08–08–2013

4– पक्षकार बनाने सम्बन्धी दीपक कुमार आदि का प्रार्थना पत्र दिनांक 19–08–2013 अन्तर्गत आदेश–1, नियम–10 सी0पी0सी0

विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल ने पक्षकारों को सुनने के उपरान्त अपने आदेश दिनांक 09–10–2013 से उपरोक्त वर्णित प्रार्थना पत्र क्र0सं0 1 से 3 को अस्वीकृत तथा क्रमांक–4 स्वीकार किया गया। इसी आदेश दिनांक 09–10–2013 के विरूद्ध उपरोक्त निगरानियां प्रस्तुत की गई है।

दोंनो निगरानियां एक ही आक्षेपित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है तथा दोंनो की विषयवस्तु एवं पक्षकार समान होने के फलस्वरूप इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है।

मैंने दिनांक 02–12–2016 एवं 06–01–2017 को पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सविस्तार सुना एवं उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया।

सर्वप्रथम निगरानी की ग्राह्यता पर मत निश्चित किया जाना आवश्यक है क्योंकि उत्तरदातागण में कुछ के विद्वान अधिवक्तागण ने आक्षेपित आदेश को अन्तर्वर्ती आदेश/वाद कालीन आदेश होने के आधार पर निगरानी को अग्राह्य/अपोषणीय होने का तर्क प्रस्तुत किया है।

पूर्व में उल्लिखित अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत चार प्रार्थना पत्र जिन पर पारित आदेश के विरूद्व वर्तमान निगरानियाँ प्रस्तुत हुई हैं में से प्रथम प्रार्थना पत्र निगरानी संख्या–77 के उत्तरदाता संख्या–1 की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा विद्वान अधिवक्ता का वकालतनामा नहीं हस्ताक्षरित होने के आधार पर उनका वकालतनामा निरस्त करने विषयक है जिसे विद्वान अपर आयुक्त ने अस्वीकार किया है। इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाला पक्ष निगरानी संख्या–78 का निगरानीकर्ता अपने कथनों से आश्वस्त था तो उसे स्वंय प्रश्नगत वकालतनामा को निरस्त कर नया अधिवक्ता नियुक्त करना चाहिए था जो कि नहीं करके अधीनस्थ न्यायालय से इसके सम्बन्ध में प्रार्थना की गई । सम्बन्धित प्रार्थी अभी भी अपना नया अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त क्या उक्त प्रार्थी/निगरानी संख्या–78 का निगरानीकर्ता जो स्वंय

को आर्य विद्यासभा गुरूकुल कांगडी का कोषाध्यक्ष बता रहा है इस संस्था की ओर से न्यायालय में पक्ष प्रदर्शन/प्रस्तुतीकरण कर सकता है क्योंकि सामान्यतः संस्थाओं अथवा निगमित निकायों/ विधिक व्यक्तियों के अधिशासी अधिकारी/सचिव/मंत्री अथवा ऐसे निकाय द्वारा अधिकृत व्यक्ति/पदाधिकारी द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है न कि कोषाध्यक्ष द्वारा। खैर जो भी हो, वकालतनामा निरस्त न किये जाने सम्बन्धी आदेश अन्तर्वर्ती आदेश की श्रेणी में आता है क्योंकि सम्बन्धित पक्षकार को नया अधिवक्ता नियुक्त करने एवं पूर्व से ही पक्ष प्रदर्शन करने वाले अधिवक्ता को हटाने की शक्ति प्राप्त है।

दूसरा आक्षेपित आदेश वाद पत्र एवं अपीलीय ज्ञाप को संशोधित करने विषयक प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित है जिसे अस्वीकार किया गया है जिसके विरूद्व निगरानी ग्राह्य है क्योंकि यह आदेश निश्चयात्मक एवं निर्णायक है।

तीसरा आक्षेपित आदेश कथित समझौता से सम्बन्धित है एवं एतद्सम्बन्धी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया है। यह आदेश भी निश्चयात्मक एवं निर्णायक है जिसके विरूद्व निगरानी ग्राह्य है।

चौथा एवं अन्तिम आक्षेपित आदेश पक्षकार बनाये जाने विषयक है जिससे सम्बन्धित प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। यह आदेश भी निश्चयात्मक एवं निर्णायक है जिसके विरूद्व निगरानी ग्राह्य है।

उपर्युक्त स्थिति के दृष्टिगत निगरानियां ग्राह्य हैं।

प्रथम अपीलीय न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील के साथ प्रस्तुत धारा–5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण विद्वान अपर आयुक्त द्वारा नही किया गया है। अपील ग्रहण करने से पूर्व धारा–5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना आवश्यक एवं विधितः अनिवार्य था। अपीलीय न्यायालय के आदेश पत्र दिनांक 05–03–2002 जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि पत्रावली प्रार्थना पत्र धारा–5 पर बहस तथा अंतिम बहस हेतु दिनांक 20–03–2002 को पेश हो, से भी स्पष्ट है कि धारा–5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अभी भी अनिस्तारित है। आक्षेपित आदेश के अंतिम प्रस्तर में भी विद्वान अपर आयुक्त ने यह उल्लेख किया है कि आदेश पत्र के आदेश दिनांक 05–03–2002 जिसके अनुसार अभी धारा–5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नही हुआ है पर सुनवाई हेतु दिनांक 25–10–2013 को पेश हो, से भी स्पष्ट है कि धारा–5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र निस्तारित नही हुआ है एवं अपील ग्रहण नहीं हुई है भले ही विद्वान आयुक्त ने अपील प्रस्तुतीकरण के समय अपील ग्रहण करने का आदेश अंकित किया है लेकिन ऐसा लिखने से भी अपील ग्रहीत नहीं मानी जायेगी क्योंकि अपील के साथ प्रस्तुत धारा–5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हुआ है। अपील कालावधि के बाद प्रस्तुत हुई थी एवं इसीलिए धारा–5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका आज तक निस्तारण नहीं हुआ है।

धारा–5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये बिना अपील में प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित प्रार्थना पत्रों को निस्तारित करना अविधिक है। अपील ग्रहण न होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि अपील अस्तित्व में ही नहीं है अतः आक्षेपित आदेशों से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों को ऐसे में सुना जाना एवं विचारित किया जाना अविधिक है। धारा–5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अस्वीकृत होने की दशा में आक्षेपित आदेश का कोई प्रभाव/अर्थ नही रह जायेगा। विद्वान अपर आयुक्त द्वारा धारा–5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना जो आक्षेपित आदेश पारित किया गया है वह क्षेत्राधिकार से परे, अवैधानिक एवं तात्विक अनियमितता से ग्रसित है इसी आधार पर निगरानियां स्वीकारणीय है।

धारा–5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण न होने की स्थिति में पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक एवं लिखित तर्कों एवं विधि व्यवस्थाओं पर गुणं दोष के आधार पर विवेचन करना अभी इस स्तर पर उचित नही है। पक्षकार प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपने अपने तर्कों को रखने के लिए स्वतंत्र है। आक्षेपित आदेश क्षेत्राधिकार से परे अवैधानिक एवं तात्विक अनियमितता से ग्रसित होने के फलस्वरूप अपास्त होने योग्य है तथा निगरानियां स्वीकारणीय है।

आदेश

निगरानियां स्वीकार की जाती है। विद्वान अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दिनांक 09–10–2013 अपास्त कर प्रकरण प्रथम अपीलीय न्यायालय को इस आशय से प्रति प्रेषित किया जाता है कि सर्वप्रथम अपील में प्रस्तुत धारा–5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर तत्पश्चात अपील में विधिवत अग्रेत्तर कार्यवाही करें। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक **16–02–2017** को खुले न्यायालय में उदघोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)